



COVID-19  
(MOST- URGENT)


राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर  
क्रमांक : प. 35( ) ( )आ.प्र. एवं सहा./covid-19/ 28346 दिनांक 20/3/2020

आदेश

राज्य सरकार द्वारा "Rajasthan Epidemic Disease, Covid-19 Regulation 2020" जारी किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी एडवायजरी एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में कोरोना संक्रमण से बचाव व रोकथाम हेतु लगातार निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण (Covid-19) की रोकथाम ही इस बीमारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। इस हेतु राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से आने वाली एडवायजरी/दिशा-निर्देशों एवं इस कार्यालय द्वारा जारी होने वाले निर्देशों को सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार हेतु श्री मदन बारूपाल, कनिष्ठ सहायक, नरेगा, जिला परिषद, बाड़मेर को जिले सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया जाता है।

श्री बारूपाल को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कार्य के साथ-साथ कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम हेतु सोशल मीडिया यथा Facebook, Twitter, WhatsApp groups आदि पर प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।

  
(अंशुदीप)

जिला कलक्टर

आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर

क्रमांक : प. 35( ) ( )आ.प्र. एवं सहा./covid-19/ 28347-363 दिनांक 20/3/2020  
प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित है :-

01. जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर
02. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर
03. उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर/बायतु/बालोतरा/सिवाना/शिव/रामसर/चौहटन/सेड़वा/धोरीमन्ना/गुड़ामालानी/सिणधरी
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर
05. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बाड़मेर
06. संबंधित श्री मदन बारूपाल, कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद, बाड़मेर को पालनार्थ ।
07. रक्षित पत्रावली ।



जिला कलक्टर

आ.प्र. सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर